राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 468/2013/नागौर

श्रीमति जमना देवी पत्नि श्री महावीर प्रसाद बगडिया अग्रवाल, निवासी–श्यामजी का चौक, डीडवाना, नागौर .....प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, डीडवाना, नागौर। .....अप्रार्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अशोकनाथ योगी, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.

श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से.

निर्णय दिनांक : 15.04.2014

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थी द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक), वृत–अजमेर (जिसे आगे **'कलेक्टर (मुद्रांक)'** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 275/2003 में पारित किये गये आदेश दिनांक 25.07.2006 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 65 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि श्री बिहारीलाल पुत्र श्री मदन लाल एवम् श्री जेठमल पुत्र श्री गोपीकिशन द्वारा प्रार्थीया को श्यामजी का चौक, डीडवाना में स्थित अपने स्वामित्व के खण्डरनुमा मकान, कुल क्षेत्रफल 1449 वर्गफुट रूपये 80,000/– विक्रय करने का एक लिखित ''इकरारनामा'' (agreement to sale) दिनांक **21.09.1996** को प्रस्तुत किया गया। जिसे उप–पंजीयक द्वारा दस्तावेज पंजीकृत कर, संबंधित पक्षकार को लौटा दिया गया। तत्पश्चात् तत्पश्चात महालेखाकार जांचदल की निरीक्षण अवधि 8/97 से 8/98 में उक्त दस्तावेज पर सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू पर मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की देयता का आक्षेप किये जाने के अनुसरण में वरिष्ठ लेखाधिकारी, मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, राजस्थान अजमेर ने मुद्रांक अधिनियम की धारा 47ए(2ए) के तहत रेफरेंस कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक) ने निगरानी अधीन आदेश दिनांक 25.07.2006 से रेफरेन्स के प्रस्तावानुसार सम्पत्ति की मालियत रूपये 5,25,850/– निर्धारित करते हुए तदनुसार कमी मुद्रांक/पंजीयन शुल्क व शास्ति सहित कुल राशि रूपये 46,085/– वसूली का आदेश पारित किया गया। प्रार्थीया द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र सहित पेश की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

लगातार.....2

बहस के दौरान प्रार्थीया के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति क्रय कर, दिनांक 21.09.1996 को संबंधित दस्तावेज तत्समय की प्रचलित दर के आधार पर पंजीबद्ध करवाये गये थे। तत्पश्चात्, महालेखाकार जांचदल द्वारा बिना किसी आधार के लीजडीड दस्तावेज को कन्वेंस मानते हुए तदनुसार मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की देयता का आक्षेप किया गया है। वरिष्ठ लेखाधिकारी, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा भी विधिक प्रावधानों का अवलोकन किये बिना दिनांक 03.02.2003 को रेफरेंस कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित किया गया है, जो कि लगभग 6 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् है, एवं कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा विक्रेता को सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी बिना एवं प्रार्थी को सुनवाई एवं जवाब का समुचित अवसर प्रदान किये बिना साईक्लोस्टाईल्ड प्रारूप में पारित किया गया निगरानी अधीन आदेश गैर कानूनी एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। इसके अतिरिक्त तर्क दिया कि विवादित आदेश पूर्व में टंकित **"साईक्लोस्टाईल्ड"** कागज़ पर खाली स्थानों को भरकर, जारी किया गया है, जिसमें स्वयम् के मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अपने कथन के समर्थन में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत सिविल अपील संख्या 2789—2990/1997, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस.बी.सिविल रिट पिटीशन क्रमांक 1807/1997, कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांत 2008(2) आर.आर.टी. 1366, निगरानी संख्या 2898/2005/अजमेर व माननीय राजस्व मण्डल के न्यायिक दृष्टांत निगरानी संख्या 402/87, 60/2009/अलवर, 2010(2) आर.आर.टी. 929, अपील संख्या 134/94/जयपुर,** को प्रोद्धरित कर, पारित आदेश दिनांक 25.07.2006 को अनुचित एवम् अविधिक होने के कारण अभिखण्डित कर, अपास्त करने की प्रार्थना की गयी।

अग्रिम कथन किया कि निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के संबंध में मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में उल्लेखित यथेष्ट एवं युक्तियुक्त कारणों के आधार पर निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस के दौरान विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि जांचदल द्वारा आक्षेप किये जाने में, वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा रेफरेंस प्रेषित किये जाने में एव कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा रेफरेंस स्वीकार किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी

लगातार.....3

है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थी की निगरानी अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी के साथ पेश किये गये मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब बाबत उल्लेखित कारणों को पर्याप्त एवं संतोषप्रद मानते हुए निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है।

प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा हस्तगत प्रकरण के संबंध में सुनवायी हेतु नोटिसेज जारी किये गये हैं जो रिकॉर्ड पत्रावली पर मौजूद है । इसके पश्चात कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशन को तामील मानते हुए, प्रार्थीया के अनुपस्थित रहने पर, प्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए रेफरेन्स अनुसार बिक्रीत सम्पति की मालियत निर्धारित कर इस पर देय कमी मुद्रांक/पंजीयन शुल्क व शास्ति की राशि वसूली हेतु साईक्लोस्टाइल प्रारूप में निगरानी अधीन आदेश दिनांक 25.07.2006 पारित किया गया है। विद्वान कलक्टर द्वारा पारित आदेश **साईक्लोस्टाईल प्रपत्र में खाली स्थान भरकर पारित किया गया है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्वान कलक्टर द्वारा हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के संबंध में संचेतन मस्तिष्क से गहन विचार कर निष्कर्ष अवधारित नहीं किये गये हैं।** अतः विवादाधीन पारित आदेश को अपास्त कर, प्रकरण कलक्टर को प्रतिप्रेषित कर, निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस संबंध में सम्बद्ध पक्षकारों को पुनः सुनवायी का युक्तियुक्त मौका प्रदान कर, इस संबंध में विधिसम्मत निर्णय पारित करने की कार्यवाही करें।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर (मुद्रांक) का निगरानी अधीन आदेश दिनांक 25.07.2006 एतद्द्वारा अपास्त किया जाकर प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सम्पत्ति की मालियत निर्धारण हेतु राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के प्रावधानों के अनुरूप जांच एवं विधिक प्रावधानों के अवलोकन के पश्चात प्रश्नगत सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू का निर्धारण करते हुए तद्नुसार मुद्रांक/पंजीयन शुल्क देयता का विधिसम्मत आदेश पुनः पारित किया जावे।

निर्णय सुनाया गया।

15.4.2014

(मदन लाल)
सदस्य